तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
18.07.2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं रेस्पोडेंटस मीना कुमारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 मय धारा 151 सी.पी.सी. पर सुना गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्द अहकाम दिनांक 14.05.2024 अनुसार रेस्पोडेंटस ने अपीलांट रमेश कुमार की मृत्यु की सूचना दे दी थी तथा बाद में अपीलांट रमेश कुमार की मृत्यु प्रमाण पत्र सूचि नं.–03 के साथ प्रस्तुत कर दिया था। जिस अनुसार अपीलांट रमेश कुमार की मृत्यु दिनांक 14.10.2023 को हो चुकी है तथा अपीलांट सं.–02 कांतादेवी जरिये मुख्त्यारे आम रमेश कुमार अपील पेश की है। परंतु अपीलांटस रमेश कुमार की मृत्यु के करीब 01 वर्ष 10 माह बाद भी ना तो अपीलांट सं.–01 के विधिक प्रतिनिधियों ने उसके स्थान पर बतौर विधिक प्रतिनिधि प्रतिस्थापित होने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथ ना ही अपीलांट सं.–02 स्वयं उपस्थित हुई है ओर ना ही उसकी तरफ से कोई वकालतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अपीलांट सं.–01 के विधिक प्रतिनिधि व अपीलांट सं.–02 अपील के प्रति गंभीर नहीं है तथा दोनों अपीलांटस का हित समान है। इसलिए अपील का उपशमन हो चुका है। अतः अपील अपीलांटस अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अशोक सांगवा) R.A.S. अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़	